प्रेषक

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– मा0शि0प0/केन्द्रस्थापना/सोलह/ 841 दिनांक 18-11-2021

विषयः– **माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित वर्ष 2022 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा कराये जाने हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक **शासनादेश संख्या 2494/पन्द्रह–07–2021–1(31)/2019 दिनांक 18 नवम्बर, 2021** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्ष 2022 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में नीति/मानक निर्धारित किया गया है।

शासनादेश के अनुपालन में आपसे अनुरोध कि परिषद द्वारा आयोजित वर्ष 2022 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता, गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा विधि व्यवस्था अक्षुण्ण रखने एवं नकल की दुष्प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के दृष्टिगत ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा साफ्टवेयर के माध्यम से परीक्षा केन्द्रों को निर्धारित कराये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित नीति/मानकों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए समयान्तर्गत कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दिव्यकान्त शुक्ल)
सचिव।

पृ0सं0–मा0शि0प0/केन्द्रस्थापना/सोलह/ 841-5 दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1– समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।

2– विशेष सचिव, (मा0 शिक्षा), उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊ के संज्ञानार्थ।

3– शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति, मा0शि0प0, उत्तर प्रदेश शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड लखनऊ।

4– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश इस आशय से प्रेषित है कि शासनादेश के अनुपालन में अपने मण्डल के जनपदों से सम्बन्धित विद्यालयों के भौतिक सत्यापन एवं **विद्यालयों के जियो–लोकेशन(अक्षांश एवं देशान्तर) परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपडेट किये जाने तथा परीक्षा केन्द्र निर्धारण** की प्रक्रिया का सतत अनुश्रवण करते हुए समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कराने का कष्ट करें।

5– अपर सचिव मा0शि0प0, क्षे0का0, मेरठ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी तथा गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित है कि शासनादेश के अनुपालन में अपने परिक्षेत्र के जनपदों से सम्बन्धित समस्त **विद्यालयों के जियो–लोकेशन(अक्षांश एवं देशान्तर) का परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त** समस्त सूचनाओं को निर्धारित तिथि तक **परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपडेट कराये जाने के साथ ही** परीक्षा केन्द्र निर्धारण की प्रक्रिया का सतत अनुश्रवण करते हुए समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

(दिव्यकान्त शुक्ल)
सचिव।

अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या– 2494/पन्द्रह–07–2021–1(31)/2019

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

सचिव, मा०शि०प०

(विनय कुमार पाण्डेय)
शिक्षा निदेशक (मा०)
18/11/2021

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–07 **लखनऊः दिनांक 18 नवम्बर, 2021**

विषयः– माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित वर्ष 2022 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों को निर्धारण ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा कराये जाने हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–मा0शि0प0/केन्द्रस्थापना/सोलह/820, दिनांक 06.10.2021 तथा सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के पत्रांक–मा0शि0प0/केन्द्रस्थापना/सोलह/838, दिनांक 15.11.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2022 में परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता, गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा विधि व्यवस्था अक्षुण्ण रखने एवं नकल की दुष्प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के दृष्टिगत उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा कराये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में नीति निर्धारण निम्नानुसार किया जाता हैः–

(A)--विद्यालयों द्वारा आधार भूत सुविधाओं को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया जानाः–

1– वर्ष 2022 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण कम्प्यूटरीकृत प्रकिया से ऑनलाइन किया जायेगा।

2– परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या–1380/पन्द्रह–7–2019–1(31)/2019 दिनांक 28 अगस्त, 2019 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार विद्यालयों के मध्य परस्पर दूरी सम्बन्धी जियो लोकेशन को छोड़कर, विद्यालयों की अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं एवं भौतिक संसाधन युक्त विभिन्न आधारभूत सूचनाओं को परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक द्वारा अपलोड की जाय।

3– शासनादेश दिनांक 28–08–2019 के संदर्भ में तत्समय विद्यालयों की जो आधारभूत सूचनाएं परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की गयी थी, उनमें यदि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन/परिवर्धन वांछित है तो तद्नुसार वांछित परिवर्तन/परिवर्धन की सूचना परिषद की वेबसाइट पर सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक द्वारा अपलोड की जायेगी, जिसकी जॉच जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जायेगी। जिन विद्यालयों द्वारा विगत वर्ष अपनी आधारभूत सूचनाएं परिषद की वेबसाइट पर

अपलोड की थी, और इस वर्ष उनमें कोई परिवर्तन/परिवर्धन नहीं है तो ऐसे विद्यालयों परिषद की वेबसाइट पर आधारभूत सूचनाओं में किसी प्रकार की अपेडेशन की कार्यवाही न करें।

4– परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की गयी आधारभूत सुविधाओं का भौतिक सत्यापन सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम के माध्यम से कराया जायेगा। भौतिक सत्यापनोपरान्त जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय की आधारभूत सूचनाओं को जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन अपलोड/अपडेट कराया जायेगा।

परिषद के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिव, द्वारा अपने–अपने परिक्षेत्र के प्रत्येक जनपद में रैण्डम रूप से कम से कम 15 विद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य होगा, जिसमें वे आधारभूत भौतिक संसाधनों सम्बन्धी सूचनाओं के सत्यापन के साथ–साथ सम्बन्धित विद्यालयों में सी0सी0टी0वी0/वायस रिकार्डर/राउटर /डी0वी0आर0 आदि के क्रियाशील होने का सत्यापन भी करेंगे।

5– विद्यालयों की इन प्रमाणित आधारभूत सूचनाओं के आधार पर परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण परीक्षा केन्द्र हेतु तैयार कराये गये साफ्टवेयर द्वारा कराया जाय।

6– परीक्षा केन्द्र निर्धारण के लिए विद्यालयों के मध्य परस्पर दूरी की सूचना लेने हेतु विद्यालयों के जियो–लोकेशन के निर्धारण के निमित्त जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यो की विकास खण्डवार (block-wise) समिति का गठन किया जाय तथा गठित समिति पर अपने परिक्षेत्र में सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव से भी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सहमति ली जाय। यह समिति सर्वप्रथम परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर जियो लोकेशन अपडेट करने के लिए परिषद द्वारा विकसित किये गये मोबाइल एप को अपने एन्ड्रायड फोन में डाउनलोड करेंगे।

समिति के सदस्य आवंटित किये गये विद्यालयों में पहुंचकर सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य से विद्यालय की यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड लेकर विद्यालय के प्रांगण से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के उपरान्त इस एप द्वारा विद्यालय का जियो–लोकेशन(अक्षांश एवं देशान्तर) परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in के सर्वर पर स्वतः दर्ज हो जायेगा, जिसका सत्यापन/परीक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अपने परिक्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव द्वारा स्वयं किया जायेगा। जियो लोकेशन गलत होने की स्थिति में जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अपने परिक्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे, तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जिन प्रधानाचार्यो द्वारा जियो लोकेशन गलत अपलोड किया गया है उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए शासन को अवगत करायेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अपने परिक्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव के माध्यम से पुष्ठित तथा समिति द्वारा निर्धारित जियो लोकेशन अन्तिम होगा।

समिति के सभी सदस्यों का विवरण यथा उनका नाम पदनाम विद्यालय मोबाईल नम्बर तथा उनको जियो लोकेशन अपडेट करने हेतु आवंटित किये गये विद्यालयों का कोड/नाम के विवरणों को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में एक स्थायी रजिस्टर में अंकित किया जायेगा।

(B)– परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु अनिवार्य अर्हतायें–

माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा संचालित विद्यालयों की वर्ष 2022 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा सम्पादित कराये जाने हेतु परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये जाने वाले विद्यालयों को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं पूर्ण किया जाना अपरिहार्य है:–

(क) जिन अशासकीय सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय, उनमें प्रवेश द्वार सहित प्रत्येक शिक्षण कक्ष, प्रश्नपत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाओं के रखने के स्ट्रांग रुम एवं उनके सीलिंग/पैकिंग रूम में वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं रिकार्डिंग हेतु डी0वी0आर0 तथा पारदर्शितापूर्ण नकल विहीन परीक्षा कराये जाने एवं उसकी वेबकास्टिंग द्वारा

मानिटरिंग किये जाने के उद्देश्य से वायस रिकार्डर युक्त दोनों ओर सी0सी0टी0वी0 कैमरे के DVRके साथ राऊटर डिवाइस एवं हाईस्पीड इण्टरनेट कनेक्शन लगा होना अनिवार्य होगा। परीक्षा केन्द्र पर वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे के डी0वी0आर0 में रिकार्डिंग क्षमता कम से कम 30 दिनों तक की होनी अनिवार्य होगी।

(ख) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले विद्यालयों में प्रश्नपत्रों की सुरक्षा एवं गोपनीयता अक्षुण्ण रखे जाने तथा उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित एवं समुचित रख–रखाव के लिए कम से कम दो लोहे की डबल–लॉक आलमारियॉ सहित स्ट्रॉग रूम की उपयुक्त व्यवस्था अनिवार्य होगी।

(ग) केन्द्र बनाये जाने वाले विद्यालयों के चारों ओर सुरक्षित चहारदीवारी एवं मुख्य प्रवेश द्वार पर लोहे के गेट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

(घ) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले विद्यालय में अग्निशमन के संसाधनों यथा फायर एक्स्टींग्विशर, पानी की बाल्टियां एवं रेत आदि की व्यवस्था अनिवार्य होगी। सभी अग्निशमन यंत्र नवीनीकृत एवं क्रियाशील होने चाहिए।

(ङ) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले विद्यालयों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं छात्र/छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय होना अनिवार्य होगा।

(च) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले विद्यालय मुख्य मार्ग/सम्पर्क मार्ग, जिसकी चौड़ाई दस फीट से कम न हो, से जुड़ा होना चाहिए, ताकि वहां आसानी से पहुंचा जा सके और प्रश्नपत्रों की गोपनीयता की आकस्मिक जांच एवं नकल विहीन परीक्षाओं का पर्यवेक्षण सुगमता पूर्वक हो सके। राजकीय तथा शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को इस शर्त से छूट रहेगी।

(छ) मान्यता पत्र निर्गमन के पश्चात जिन विद्यालयों के परीक्षार्थियों के कम से कम दो बैच परिषदीय परीक्षाओं में सम्मिलित हो चुके हों, वे ही विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु अर्ह होंगे। राजकीय विद्यालय को इस शर्त से छूट रहेगी।

(ज) विद्यालय में स्थाई विद्युत व्यवस्था होनी अनिवार्य है। इसके साथ ही परीक्षाओं के निर्बाध संचालन तथा निर्बाध वेबकास्टिंग हेतु वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था के लिए पृथक से जेनरेटर की व्यवस्था भी होना अनिवार्य है।

(झ) विद्यालय में एक सम्पूर्ण कम्प्यूटर सिस्टम एवं दो दक्ष कम्प्यूटर आपरेटर की उपयुक्त व्यवस्था होनी अनिवार्य है।

(ञ) एक ही प्रबन्धक द्वारा संचालित एक से अधिक विद्यालयों के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबन्धक के अधीन संचालित अन्य विद्यालयों पर किसी भी दशा में आवंटित न किया जाय।

(c)-- निम्नलिखित विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जायः–

(क) जिन विद्यालयों के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय से सम्बन्धित समस्त आधारभूत सूचनाएं/आंकड़ों को परिषद की बेवसाइट पर अपलोड नहीं किया जाता है अथवा त्रुटिपूर्ण/भ्रामक सूचनायें अपलोड की जाती हैं तो सम्बन्धित प्रधानाचार्य को जिम्मेदार ठहराते हुए विद्यालय को परीक्षा केन्द्र पात्रता लिस्ट से बाहर कर दिया जाय एवं प्रधानाचार्य के विरूद्ध परिषदीय नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय। इस हेतु प्रबन्धतंत्र को भी उत्तरदायी बनाया जाय।

(ख) वर्ष 2018, वर्ष 2019 एवं 2020 में सचल दल एवं शिक्षा विभाग/जिला प्रशासन/एस0टी0एफ0 के निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा जिन परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल की स्थिति पाये जाने पर परीक्षा निरस्त करने की रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षा सम्पादित करानी पड़ी हो और उन विद्यालयों को परीक्षा समिति/शासन द्वारा डिबार किये जाने का निर्णय लिया गया हो, उन्हें वर्ष 2022 में परीक्षा केन्द्र नही बनाया जाय।

(ग) जिन विद्यालयों द्वारानिर्धारित समय से पूर्व प्रश्न पत्रों के प्रकटन/प्रश्नपत्रों की चोरी/गोपनीयता भंग की गयी हो तथा उत्तर–पुस्तिकाएं परीक्षा केन्द्र के बाहर लिखते हुए पकड़े जाने का

तथ्य संज्ञान में आया हो, और शासन/परीक्षा समिति द्वारा उन्हें इस कारण से डिबार किया गया हो ऐसे विद्यालयों को भी वर्ष 2022 में परीक्षा केन्द्र नही बनाया जाय।

(घ) वर्ष 2018, 2019 एवं 2020 की परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय सचल दल/शिक्षा विभाग/जिला प्रशासन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों/एस0टी0एफ0 द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर गम्भीर अनियमितताएं पायी गयी हों या हिंसात्मक, या आगजनी की घटनाएं हुई हों, या सम्बन्धित निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया हो तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराई गयी हो, के कारण सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा समिति/शासन द्वारा डिबार किया गया हो, ऐसे विद्यालयों के असुरक्षित वातावरण एवं अनुपयुक्तता की अनुभूत स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2022 की परिषदीय परीक्षाओं का परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

(ङ) जिन वित्तविहीन विद्यालयों के प्रबन्धाधिकरण एवं प्रधानाचार्य के मध्य विवाद हो उन्हें वर्ष 2022 में परीक्षा केन्द्र नही बनाया जाय।

(च) जिन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रबन्धकीय विवाद हो तथा उनमें नियमानुसार प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त न हो उन्हें वर्ष 2022 में परीक्षा केन्द्र नही बनाया जाय।

(छ) जिन विद्यालयों के परिसर में प्रबन्धक के आवास तथा छात्रावास निर्मित हों उन्हें वर्ष 2022 का परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जायगा। राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को इससे छूट रहेगी।

(ज) जिन विद्यालयों के मुख्य प्रवेश द्वार या प्रवेश द्वार व शिक्षण कक्ष/प्रशासनिक कक्ष के मध्य या प्रशासनिक कक्ष या शिक्षण कक्षों के ऊपर से कोई हाईटेंशन विद्युत तार गया हो उन्हे सुरक्षा के दृष्टिगत वर्ष 2022 में परीक्षा केन्द्र नही बनाया जाय

(झ) विद्यालय यदि दो खण्डों में निर्मित हो तथा उनके मध्य सार्वजनिक आवागमन हेतु कोई मुख्य सड़क/सम्पर्क मार्ग बना हो उन्हें असुरक्षित पर्यवेक्षण के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्र नही बनाया जाय।

(ञ) जिन विद्यालयों की धारण क्षमता एक पाली में 125 से कम होगी, उन्हें परीक्षा केन्द्र निर्धारित न किया जायेगा।

(ट) जिन विद्यालयों के शिक्षण कक्ष की खिड़कियां सार्वजनिक सड़क या यदि किसी संकीर्ण गली में खुलती हो, उन्हें असुरक्षित पर्यवेक्षण की दृष्टि से परीक्षा केन्द्र निर्धारित न किया जाय। राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को इससे छूट रहेगी।

(D)-- **<u>परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु अन्य शर्तें</u>:–**

(क) परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु तीनों ही श्रेणियों यथा राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त तथा वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में से बालिका विद्यालय के रुप में मान्यता प्राप्त विद्यालयों को जो प्रस्तर–2(B) में उल्लिखित अनिवार्य अर्हताओं की शर्त पूर्ण करते हैं उनमें से सर्वप्रथम हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की कुल मिलाकर सर्वाधिक बालिकाओं की संख्या वाले बालिका विद्यालयों को अवरोही बालिका संख्या के क्रम में परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय,

तत्पश्चात राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक बालक विद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त विद्यालयों को इसके पश्चात सबसे अंत में आवश्यकता होने पर वित्त विहीन विद्यालयों के बालक विद्यालयों को उनकी मेरिट गुणांक के अनुसार परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।

(ख) परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु प्रस्तर–2(B) के अनुसार अनिवार्य अर्हता रखने वाले विद्यालयों में सर्वप्रथम राजकीय विद्यालयों में उनकी मेरिट के अनुसार उनके 10 कि0मी0 की परिधि में आने वाले न्यूनतम् गुणांक वाले वित्त विहीन विद्यालयों को आवंटित किया जायेगा। इसके पश्चात इसी प्रक्रिया से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी सर्वप्रथम न्यूनतम् गुणांक वाले वित्त विहीन विद्यालयों को आवंटित किया जायेगा। मानक के अनुसार राजकीय एवं सवित्त विद्यालयों को परीक्षा

केन्द्र निर्धारित कर लेने के पश्चात आवश्यकतानुसार वित्तविहीन विद्यालयों में से सर्वप्रथम सबसे उच्च गुणांक वाले वित्तविहीन विद्यालय को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जायेगा, जिसमें सबसे पहले न्यूनतम् गुणांक वाले राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को आवंटित किया जाय। इसके पश्चात उसमें न्यूनतम् गुणांक वाले वित्तविहीन विद्यालयों के छात्र/छात्राओं का आवंटन किया जाय।

(ग) वर्ष 2022 की परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्र निर्धारित होने वाले राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों की पूर्ण धारण क्षमता के सापेक्ष कोविड–19 महामारी के संक्रमण से बचाव व सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों का आवंटन किया जाय। दोनों पालियों में आवंटित परीक्षार्थियों की कुल संख्या न्यूनतम 250 एवं अधिकतम 1200 होगी, परन्तु किसी भी पाली में आवंटित परीक्षार्थियों की कुल संख्या विद्यालय की एक पाली की धारण क्षमता से अधिक नहीं होगी।

(घ) विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधन युक्त लिण्टर्ड शिक्षण कक्षों (प्रयोगशाला कक्ष, स्टाफ कक्ष, प्रधानाचार्य कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, क्रीड़ा कक्ष को छोड़कर) में उपलब्ध फर्नीचर के अनुसार एक पाली की परीक्षा में नियमानुसार व्यवस्थित रूप से बैठकर परीक्षा दे सकने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अर्थात विद्यालय की धारण क्षमता के सापेक्ष कोविड–19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए ही परीक्षार्थी आवंटित किए जाने की व्यवस्था का दृढ़ता से पालन किया जाय। (शिक्षण कक्षों में परीक्षा देने हेतु दो परीक्षार्थियों के मध्य 6 फिट का अन्तराल रखा जाना आवश्यक होगा।

(ङ) परीक्षा केन्द्र पर यथासम्भव एक से अधिक विद्यालय के परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु आवंटित किया जाय।

(च) वित्तविहीन विद्यालयों के प्रबन्धकों द्वारा संचालित विद्यालय के छात्र/छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पारस्परिक आधार पर निर्धारित नहीं किया जाय। राजकीय एवं सवित्त विद्यालयों के आपस में पारस्परिक आवंटन में छूट रहेगी।

(छ) परीक्षा केन्द्र निर्धारित होने वाले बालिका विद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में यथासम्भव बालक परीक्षार्थियों का आवंटन न किया जाये

(ज) उपरोक्त बिन्दु (च) एवं (छ) में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(झ) संस्थागत/व्यक्तिगत बालक परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक विद्यालय/अग्रसारण केन्द्र से यथासम्भव 05 से 10, किमी की परिधि में आने वाले विद्यालयों में निर्धारित किया जाय। विषम भौगोलिक परिस्थिति एवं विद्यालय की अनुपलब्धता के दृष्टिगत हाईस्कूल के परीक्षार्थियों को कम दूरी वाले परीक्षा केन्द्र पर एवं इण्टरमीडिएट परीक्षार्थियों को दूर के परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा हेतु आवंटित किया जाय।

(ञ) प्रत्येक जनपद में अवस्थित सभी बालिका विद्यालय जो प्रस्तर–2(B) में उल्लिखित अनिवार्य अर्हताओं एवं आवश्यक मानकों को पूर्ण करते हैं तथा उन्हें नियमानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाता है तो बालिकाओं को स्वकेन्द्र की सुविधा प्रदान की जाय। 05 कि0मी0 तक की परिधि में आने वाले अन्य विद्यालयों की बालिकाओं को भी इन परीक्षा केन्द्रों में आवंटन किया जा सकता है यदि वह परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये गये है।

(ट) वर्ष 2022 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सभी संस्थागत एवं व्यक्तिगत बालिकाओं को, यदि उनका विद्यालय/अग्रसारण केन्द्र परीक्षा केन्द्र बनाया गया है तो उन्हें अपने ही विद्यालय/अग्रसारण केन्द्र में केन्द्र आवंटित किया जाय, अर्थात उन्हें स्वकेन्द्र की सुविधा दी जाये।

(ठ) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की बालिका परीक्षार्थियों को जहॉ स्वकेन्द्र/स्थानीय केन्द्र की सुविधा न दी जा सके, वहॉ उन्हें अधिकतम 05 कि0मी0 की परिधि के परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देने की सुविधा दी जाय।

(ड) 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता वाले दिव्यांग छात्र/छात्राओं को यदि उनका विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है तब जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिव्यांग परीक्षार्थियों का सी0एम0ओ0 से निर्गत प्रमाण पत्र की सत्यता का परीक्षण करते हुए उन्हें स्वकेन्द्र की सुविधा दी जाएगी, अन्यथा की स्थिति में ऐसे विद्यालयों के दिव्यांग छात्र/छात्राओं को यथास्थिति स्थानीय/निकटस्थ परीक्षा केन्द्र पर, अधिकतम् 05 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत परीक्षा हेतु समायोजित किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जाय कि दिव्यांग परीक्षार्थियों को निकटतम परीक्षा केन्द्रों में ही समायोजित किया गया है।

(ढ) बालक परीक्षार्थियों को अधिकतम 10 कि0मी0, बालिकाओं तथा दिव्यांग परीक्षार्थियों को 05 कि0मी0 की परिधि में समायोजित किये जाने विषयक दिये गये निर्देशों उक्त बिन्दु (झ), (ट) एवं (ठ) का अनुपालन सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से बालिकाओं तथा दिव्यांग परीक्षार्थियों को 05 कि0मी0 की परिधि में समायोजित किया जाना सम्भव न हो पाये तो, विकल्प सहित प्रस्ताव सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(E) परीक्षा केन्द्र निर्धारण के सम्बन्ध में मेरिट सूची तैयार किये जाने हेतु गुणांक प्रदान किया जानाः–

(I) परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गयी विद्यालयों की प्रमाणित आधारभूत सूचनाओं पर आधारित होगा। इन आधारभूत सूचनाओं के आधार पर परीक्षा केन्द्रों का चयन/निर्धारण सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाइन किया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय को उसके द्वारा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की गयी आधारभूत सूचनाओं के आधार पर अंक प्रदान करते हुए राजकीय विद्यालयों/सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं वित्तविहीन विद्यालयों की पृथक–पृथक मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

(II) मेरिट सूची तैयार करते समय विद्यालयों को निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर उनके सम्मुख अंकित अंक प्रदान किए जायेंगेः–

क्रम	आधारभूत सुविधाएं	निर्धारित अंक
	विद्यालय का स्तर	
	इण्टरमीडिएट स्तर के विद्यालय	20
	केवल हाईस्कूल स्तर के विद्यालय	10
	विद्यालय की श्रेणी	
	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	50
	सवित्त माध्यमिक विद्यालय	30
	वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय	10
	परीक्षा संचालन हेतु उपयुक्त विद्यालय में उपलब्ध पक्के लिण्टर्ड शिक्षण कक्ष–(शिक्षण कक्ष से आशय केवल उन कक्षों से है जिनमें शिक्षण कार्य होता है, इसमें अन्य सभी प्रकार के कक्षों यथा–प्रयोगशाला, स्टाफ कक्ष, लाइब्रेरी, प्रधानाचार्य कक्ष, वैकल्पिक कक्ष आदि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।) (एक ही परिसर में यदि एक प्रबन्धक की दो या अधिक संस्थाएं (सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 से मान्यता प्राप्त विद्यालय) या डिग्री कालेज संचालित हैं, तो इनके शिक्षण कक्ष आदि को इस विद्यालय के शिक्षण कक्षों में कदापि सम्मिलित नहीं किया जायेगा)	प्रति कक्ष–01
	क्या विद्यालय में अध्ययन/अध्यापन सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में होता है?	

	हॉ के लिए	10 अंक
	नहीं के लिए	0
	क्या विद्यालय 2020में परीक्षा केन्द्र था?	
	हॉ के लिए	20 अंक
	नहीं के लिए	0 अंक
	विद्यालय का वर्ष 2020 हाईस्कूल का परीक्षाफल 90 प्रतिशत से अधिक अंक होने पर	10 अंक
	विद्यालय का वर्ष 2020 इण्टरमीडिएट का परीक्षाफल 90 प्रतिशत से अधिक होने पर–	10 अंक

नोट– जिन विद्यालयों के मेरिट अंक समान होंगे उनमें से जिस विद्यालय की हाईस्कूल परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होगी उन्हें मेरिट लिस्ट में वरीयता दी जायेगी।

(F)-- केन्द्रव्यवस्थापक एवं कक्ष निरीक्षक की व्यवस्थाः–

(क) वर्ष 2022 की परीक्षाओं में परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले जिन विद्यालयों की बालिकाओं को स्वकेन्द्र की सुविधा प्रदान की जायेगी, वहॉ वाह्य अतिरिक्त केन्द्रव्यवस्थापक के साथ कम से कम 50 प्रतिशत स्टाफ वाह्य विद्यालयों से नियुक्त किया जाय।

(ख) जिन विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय उनमें विद्यालय के प्रधानाचार्य यदि डिबार नहीं किए गए हैं तो वे केन्द्रव्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। ऐसे विद्यालय जहॉ के प्रधानाचार्य डिबार हैं वहॉ राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक को वाह्य केन्द्रव्यवस्थापक के साथ ही अतिरिक्त सह केन्द्रव्यवस्थापक की भी नियुक्ति की जाय।

(ग) यह सुनिश्चित किया जाय कि परीक्षाएं परीक्षा केन्द्र के परीक्षा कक्षों में ही आयोजित की जाय, किसी भी दशा में परीक्षाएं खुले में कदापि आयोजित न करायी जाय।

(घ) इसी के साथ ही एक ही प्रबन्धतंत्र के अधीन निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर उसी प्रबन्धतंत्र में संचालित विद्यालयों के अध्यापकों को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी नही लगायी जाय।

(ङ) निर्धारित परीक्षा केन्द्र से इतर किसी अन्य परीक्षा केन्द्र पर कोई अभ्यर्थी यदि परीक्षा देता पाया जायेगा तो उसका परीक्षाफल परिषद द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा, इसके साथ ही सम्बन्धित केन्द्रव्यवस्थापक सहित परीक्षा केन्द्र को तीन वर्ष के लिए डिबार कर दिया जायेगा।

4– माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज में योजित जनहित याचिका संख्या 58534/2011 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में केन्द्र निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेन्च द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 12–10–2011 का क्रियात्मक अंश इस प्रकार हैः–

``We have heard learned counsel for the petitioner and are of the view that this is not a genuine public interests litigation, rather appears to be sponsored one, as an institution or a college cannot claim, as a matter of right, that it be also made examination centre, for the reason that this is for the examining body or for the educational authorities to decide as to which institution be made as examination centre for holding peaceful and fair examination. We, therefore, do not find any merit in this petition. It is, accordingly dismissed in limine.''

माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा पारित निर्णय के अनुसार केन्द्र निर्धारण का दावा किसी संस्था का अधिकार नहीं है। यह परीक्षा संस्था और शैक्षिक प्राधिकारियों को निर्णय करना है कि शान्ति एवं शुचितापूर्ण परीक्षा संचालन हेतु किस संस्था को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में योजित याचिका संख्या संख्या 56718/2017 डॉ0 सैयद महमूद इण्टर कालेज,

भितरी, गाजीपुर बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2017 का कियात्मक अंश भी उल्लेखनीय है :–

"Even otherwise, this Court is of the view that making examination Centre is a policy matter of the respondent-Board and any institution which does not meet the standards fixed by the Board cannot claim as a matter of right to be made centre for holding Board Examinations.

No direction, as such, can be given. The present petition is found devoid of merits and hence dismissed."

5– परिषद की वेबसाइट पर संस्था/विद्यालय के प्रधानाचार्यो द्वारा ऑनलाइन अपलोड की गयी एवं जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति से स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन के उपरान्त आधारभूत आंकड़ों के आधार पर ही ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया जायेगा। ऑनलाइन निर्धारित किये गये परीक्षा केन्द्रों में किसी प्रकार का परिवर्तन एवं संशोधन वांछनीय नहीं होगा।यदि विद्यालय द्वारा दी गयी त्रुटिपूर्ण/भ्रामक सूचनाओं के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा केन्द्र निर्धारित होने सम्बन्धी त्रुटि/विसंगति पायी जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/जॉच अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक का होगा, और उनके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा सम्बन्धित विद्यालय को 03 वर्ष के लिए परीक्षा केन्द्र बनाने से डिबार कर दिया जायेगा।

6– परीक्षा केन्द्रों का ऑनलाइन निर्धारण के लिए परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएं परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर कम से कम एक सम्पूर्ण कम्प्यूटर सिस्टम तथा दो दक्ष कम्प्यूटर आपरेटर होना आवश्यक होगा।

7– साफ्टवेयर द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारण के पश्चात केन्द्र निर्धारण की सूची (विद्यालय छात्र आवंटन सहित) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय समिति के अवलोकनार्थ तथा परीक्षण हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराते हुए राज्य स्तरीय एवं जनपदीय संस्करणों में दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाय। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा भी अपने स्तर से जनपद के समस्त प्रधानाचार्यो के सूचनार्थ दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कर दिया जाय। परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति/शिकायत हो तो इस सम्बन्ध में युक्तियुक्त कारणों/साक्ष्यों सहित सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा तैयार ई–मेल boardexam2022.(district name)@gmail.com एवं डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद कोई प्रत्यावेदन ग्राह्य नहीं होगा।

8– जनपदीय समिति द्वारा ऑनलाइन निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के त्रुटि/विसंगति एवं छात्र/अभिभावक /प्रधानाचार्य/प्रबन्धक के प्रत्यावेदन/आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् जनपदीय समिति के अनुमोदनोपरान्त परिषद की बेवसाइट पर अपलोड/प्रदर्शित किये गये परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में यदि किसी संस्था के छात्र/अभिभावक/प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को पुनः कोई आपत्ति है तो परीक्षा केन्द्रों की सूची अपलोड होने के 05 दिवस के अन्दर अपना तथ्यात्मक एवं प्रमाणिक प्रत्यावेदन परिषद की ई–मेल आई0डी0 upmspexamcentre@gmail.com पर प्रस्तुत कर सकेंगे निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रत्यावेदन ग्राह्य नहीं होंगे। ऐसे प्रत्यावेदनों पर अन्तिम निर्णय परिषदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा लिया जायेगा।

9– परिषद द्वारा ऑनलाइन प्रकिया से चयनित कराये जाने के उपरान्त जनपदीय/परिषदीय समिति द्वारा अन्तिम रूप से संस्तुत/अनुमोदित परीक्षा केन्द्रों की (विद्यालय/परीक्षार्थियों के आवंटन सहित) सूची में किसी प्रकार के संशोधन/परिवर्तन की शक्ति शासन में निहित होगी।

10-- परीक्षा केन्द्र पर वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे की रिकार्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था होनी अनिवार्य होगी, ताकि परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण के दौरान जनपद/मण्डल स्तर के सचल दल अधिकारियों द्वारा परीक्षा अवधि के किसी भी तिथि एवं विषय की परीक्षा का अवलोकन/परीक्षण कर सकें।

11-- (क) समस्त परीक्षा केन्द्रों पर राऊटर लगाये जाने के पश्चात केन्द्रव्यवस्थापकों/ प्रधानाचार्यो द्वारा पारदर्शितापूर्ण परीक्षा संचालन की वेबकास्टिंग व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों के केन्द्रव्यवस्थापक/ प्रधानाचार्य द्वारा केन्द्र में लगे DVRका स्टैटिक आई0पी0 एड्रेस उनकी यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड एक सीलबन्द लिफाफे में परीक्षा प्रारम्भ के एक माह पूर्व ही जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(ख) जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा जनपद मुख्यालय स्तर पर एक कन्ट्रोल रूम बनाया जायेगा, इसे जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय/राजकीय विद्यालय अथवा जनपदीय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र में सुविधानुसार स्थापित किया जा सकता है। कन्ट्रोल रूम हेतु आवश्यक कम्प्यूटर्स आदि की व्यवस्था जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा उन विद्यालयों से लेकर की जायेगी जो परीक्षा केन्द्र नहीं बने हैं।

(ग) कन्ट्रोल रूम में प्रत्येक कम्प्यूटर पर न्यूनतम् 10 एवं अधिकतम् 16 परीक्षा केन्द्रों के सतत निरीक्षण हेतु राजकीय विद्यालयों के दो-दो शिक्षकों की ड्यूटी लगायी जायेगी। निरीक्षण में परीक्षा केन्द्रों पर किसी प्रकार की अनुचित स्थिति परिलक्षित होने पर अथवा सी0सी0टी0वी0 आदि सही ढंग से कार्य नहीं करने पर उसकी सूचना तत्काल जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से सचल दलों को दी जायेगी। इसके साथ ही इसको दैनिक रूप से एक निरीक्षक पंजिका में भी अंकित किया जायेगा।

(घ) जनपद मुख्यालय स्तर पर बनाये गये इस कन्ट्रोल रूम की मॉनिटरिंग जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(ड.) वर्ष 2020 की भांति 2022 की परीक्षा हेतु शिक्षा निदेशालय लखनऊ में प्रदेश के समस्त परीक्षा केन्द्रों की मॉनिटरिंग हेतु एक राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रुम की स्थापना शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित करायी जाय। शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रुम में तैनात किए जाने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य कार्मिकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

12-- परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण/पर्यवेक्षण से सम्बन्धित निरीक्षण आख्याएं ऑनलाइन प्रेषित किये जाने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदोंएवं क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित कन्ट्रोल रूम के लिए अलग-अलग डेडीकेटेड ई-मेल आई0डी0 तैयार कराई जाय। इस कम में जनपदों हेतु boardexam2022.(district name)@gmail.com की भांतितथा क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु boardexam2022.(regional office)@gmail.com की भांति ई-मेल आई0डी0 तैयार कराई जाय।

13-- परिषदीय परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली ऑनलाइन शिकायतों हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा एक पोर्टल का विकसित किया जाय तथा पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन शिकायतों तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करते हुये निस्तारण आख्या उक्त पोर्टल पर अपलोड की जाय।

14-- परिषदीय परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान निरीक्षण अधिकारियों द्वारा केन्द्रों पर पायी गयी अनियमितताओं से सम्बन्धित आख्याओं/संस्तुतियों को ऑनलाइन प्राप्त किये जाने हेतु डेडीकेटेड ई-मेल आई0डी0 तैयार करायी जाय।

15-- किसी परीक्षा केन्द्र पर निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो सम्बन्धित केन्द्रव्यवस्थापक को हटाकर वहां राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य/वरिष्ठ अध्यापक को वाह्य केन्द्रव्यवस्थापक एवं उक्त परीक्षा केन्द्र के वरिष्ठतम् अध्यापक को सह केन्द्रव्यवस्थापक नियुक्त कर अग्रिम परीक्षाएं सम्पादित कराई जाय।

16-- वर्ष 2022 की परीक्षाओं में पूर्व की भांति प्रत्येक परीक्षा कक्ष में **दो** कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था लागू रहेगी। विशेष परिस्थितियों/कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए कक्ष निरीक्षकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने पर एक कक्ष निरीक्षक की व्यवस्था लागू की जा सकती है। शासनादेश संख्या 404/15-7-2020-1(31)/2019 दिनांक 14 फरवरी, 2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार केन्द्रव्यवस्थापकों द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर तैनात कक्ष निरीक्षकों एवं अन्य कार्मिकों की उपस्थिति बोर्ड द्वारा तैयार साफ्टवेयर पर नियमित रूप से दर्ज की जाएगी। बोर्ड की परीक्षाओं में राजकीय विद्यालयों/अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के जो अध्यापक ड्यूटी/परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन विषयक आदेशों की अवहेलना करेंगे या सौंपे गए कार्यों को नहीं करेंगे, उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा तथा तदनुसार उनका वेतन काट लिया जाय।

17-- जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के माध्यम से सत्यापित एवं सत्यापनोपरान्तजिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड/अपडेट की गयी आधारभूत सूचनाओं के दृष्टिगत परिषद द्वारा ऑनलाइन प्रेषित परीक्षार्थियों के आवंटन सहित परीक्षा केन्द्रों की सूची के सम्बन्ध में छात्र/अभिभावक/प्रधानाचार्य/प्रबन्धक से प्राप्त युक्तियुक्त कारणों/साक्ष्यों सहित शिकायत/ आपत्ति का जनपदीय समिति द्वारा परीक्षणकिया जायेगा। प्राप्त प्रत्यावेदनों एवं परीक्षा केन्द्रों के परीक्षण के दौरान यदि किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति प्राप्त होती है, तो जनपदीय समिति द्वारा परिषद की बेवसाइट upmsp.edu.in पर सभी त्रुटियों का आनलाइन निस्तारण करते हुए अपनी अभ्युक्ति सहित तथ्यपरक आख्या/जनपदीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त एवं सम्बन्धित त्रुटि/विसंगति करने वाले जनपदीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव संलग्न करते हुए परिषद कार्यालय की ई-मेल आई0डी0 upmspexamcentre@gmail.com पर ई-मेल द्वारा प्रेषित करेंगे, जिस पर परिषदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय लेते हुए परीक्षार्थियों के आवंटन सहित परीक्षा केन्द्रों को अन्तिम रूप से अनुमोदित किया जायेगा।

18-- परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या 1380/15-7-2019-1(31)/2019 दिनांक 28-08-2019 में उल्लिखित एवं सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाचार्यो/प्रबन्धकों द्वारा अपलोड की गयी विभिन्न आधारभूत सूचनाओं/उपलब्ध सुविधाओं के भौतिक सत्यापन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जायः-

1-सम्बन्धित उप जिलाधिकारी।	अध्यक्ष
2-जिलाधिकारी द्वारा नामित अभियंत्रण विभाग के अभियंता जो सहायक अभियंता से निम्न स्तर के न हों।	सदस्य
3-सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार।	सदस्य
4-जिला विद्यालय निरीक्षक या उनके द्वारा अधिकृत सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक या राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य।	सदस्य

19-- परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु जनपद एवं परिषद स्तर पर निम्नवत् समितियों का गठन किया जायेगा।

जनपदीय समिति

1-- जिलाधिकारी अध्यक्ष

2– जिला विद्यालय निरीक्षक — सदस्य सचिव

3– बेसिक शिक्षा अधिकारी — सदस्य

4– जिस सब डिवीजन के परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण पर विचार किया जाय उसके उपजिलाधिकारी — सदस्य

5– जिले के दो वरिष्ठ प्रधानाचार्य (जिनमें एक राजकीय व एक ग्रामीण क्षेत्र का अवश्य हो) — सदस्य

परिषद की वेबसाइट पर प्रधानाचार्यों द्वारा अपलोड एवं जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित/प्रमाणित कराये जाने के उपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अपडेट की गयी आधारभूत सूचनाओं के दृष्टिगत साफ्टवेयर द्वारा ऑनलाइन चयनित परीक्षा केन्द्रों की सूची (विद्यालय छात्र आवंटन सहित) का परीक्षण एवं ऑनलाइन अनुमोदन किया जाय। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा समिति के सदस्य सचिव के रूप में परीक्षा केन्द्रों के ऑनलाइन अनुमोदन से सम्बन्धित सुस्पष्ट कार्यवृत्त निम्नवत् निर्धारित प्रारूप पर तैयार किया जायेगा जो अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जायेगा, तथा अनुमोदित कार्यवृत्त की एक प्रति परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय सहित मुख्य कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराई जाय।

क्रम	विद्यालय/परीक्षा केन्द्र का नाम	श्रेणी (शासकीय, सवित्त, वित्तविहीन)	परीक्षा केन्द्र शासनादेश की किस प्रस्तर का उल्लघंन करता है।(उसकी संख्या व विवरण)	निरस्त परीक्षा केन्द्र का नाम	श्रेणी	निरस्त करने का औचित्यपूर्ण/तथ्यपरक आख्या
1	2	3	4	5	6	7

परिषद स्तरीय केन्द्र निर्धारण समिति

1– शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। — अध्यक्ष

2– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। — सदस्य सचिव/नोडल अधिकारी

3– क्षेत्रीय सचिव, मा0शि0प0,क्षे0का0, प्रयागराज/मेरठ/बरेली/वाराणसी तथा गोरखपुर (अपने–अपने परिक्षेत्र के) — सदस्य

4– अपर सचिव (प्रशासन) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। — सदस्य

5– उप सचिव(केन्द्रस्थापना) माध्यमिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0, मुख्यालय प्रयागराज। — सदस्य

6– उप सचिव(सिस्टम सेल) — सदस्य

माध्यमिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0,
मुख्यालय प्रयागराज।

कम्प्यूटर द्वारा ऑनलाइन चयनित परीक्षा केन्द्रों की सूची (विद्यालय छात्र आवंटन सहित) का परीक्षण एवं अनुमोदन परिषद की वेबसाइट पर प्रधानाचार्यों एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अपलोड/प्रमाणित की गयी सूचनाओं के दृष्टिगत परिषद स्तर पर गठित परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा।

20-- माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित सभी कार्यों को परिणामपरक बनाए जाने हेतु समयबद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। अतः केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी कार्यों के सम्पादनार्थ निम्नांकित समय सारिणी का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायः–

क्रम	परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु विभिन्न गतिविधियां	अंतिम तिथि
1	परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु विद्यालयों की अवस्थापना सम्बन्धी भौतिक संसाधन युक्त विविध सुविधाओं एवं आधारभूत सूचनाओं को परिषद की वेबसाइट **upmsp.edu.in** पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक द्वारा अपलोड करने की अंतिम तिथि।	**27 नवम्बर, 2021 तक(शनिवार)**
2	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा गठित समिति द्वारा विद्यालयों के मध्य दूरी सम्बन्धी जियो लोकेशन की सूचना विद्यालय के प्रांगण से मोबाइल एप के माध्यम से अपलोड किए जाने की अंतिम तिथि।	**02 दिसम्बर, 2021 तक**
3	परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की गयी आधारभूत सूचनाओं का भौतिक सत्यापन संबंधित जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के माध्यम से कराये जाने की अंतिम तिथि।	**09 दिसम्बर, 2021 तक**
4	विद्यालयों के भौतिक सत्यापन के उपरान्त समिति की अभ्युक्ति सहित आख्या को जिलाधिकारी द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से ऑनलाइन परिषद की वेबसाइट **upmsp.edu.in** पर अपलोड/अपडेट कराये जाने की अंतिम तिथि।	**15 दिसम्बर, 2021 तक**
5	परिषद की वेबसाइट पर जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा प्रमाणित/अपडेट कराई गयी विद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं के आधार पर ऑनलाइन प्रविधि से चयनित परीक्षा केन्द्रों (विद्यालय छात्र आवंटन सहित) की सूची सार्वजनिक करते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय समिति के अवलोकनार्थ तथा परीक्षण हेतु परिषद द्वारा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि।	**22 दिसम्बर, 2021 तक**
6	ऑनलाइन चयनित केन्द्र निर्धारण सूची को जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा प्रधानाचार्यो के सम्यक परीक्षण हेतु अपनेजनपदों में समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर प्रधानाचार्यो के आपत्तियों/शिकायतों से सम्बन्धित प्रत्यावेदन को ऑनलाइन प्राप्त करने की तिथि।	**27 दिसम्बर, 2021 तक**
7	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रधानाचार्यो से प्राप्त आपत्तियों का सम्यक् परीक्षण करना, तथा आपत्तियों के तार्किक एवं औचित्यपूर्ण पाये जाने पर उन पर अन्तिम कार्यवाही करने हेतु जनपदीय समिति से अनुमोदित आख्या/संस्तुति सहित परिषद की वेबसाइट पर ही ऑनलाइन अग्रसारित करने की तिथि।	**03 जनवरी, 2022 तक**
8	परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अग्रसारित, जनपदीय समिति द्वारा अनुमोदित तार्किक एवं औचित्यपूर्ण आख्या/संस्तुति को जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा प्रमाणित आधारभूत सूचनाओं के दृष्टिगत केन्द्र निर्धारण सूची को वेबसाइट परसर्वसम्बन्धित के सूचनार्थ अपलोड करने की तिथि।	**09 जनवरी, 2022 तक**

9	जनपदीय समिति द्वारा ऑनलाइन निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के त्रुटि/विसंगति एवं छात्र/अभिभावक/प्रधानाचार्य/प्रबन्धक के प्रत्यावेदन/आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् जनपदीय समिति के अनुमोदनोपरान्त परिषद की बेवसाइट पर अपलोड/प्रदर्शित किये गये परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में यदि किसी संस्था के छात्र/अभिभावक/प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को पुनः कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति/प्रत्यावेदन जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर परिषद की ई–मेल आई0डी0 upmspexamcentre@gmail.com पर प्रस्तुत करने की तिथि	**15 जनवरी, 2022 तक**
10	जनपदीय समिति के अनुमोदनोपरान्त परिषद की केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा परिषद के ई–मेल आई0डी0 पर निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों के परीक्षणोपरान्त उसका निराकरण करते हुए केन्द्र निर्धारण सूची को अन्तिम रूप प्रदान कर उसे परिषद की वेबसाइट पर सर्वसम्बन्धित के सूचनार्थ अपलोड करने की तिथि।	**24 जनवरी, 2022 तक**

भवदीया,

(आराधना शुक्ला)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–2494 (1)/15–7–2020–1(31)/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
4. क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज/वाराणसी/मेरठ/गोरखपुर/बरेली।
5. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शम्भु कुमार)
विशेष सचिव।